



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेंट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-09.02.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त आसित सेन को चोरी के प्रयास में मा0 न्यायालय द्वारा मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 0078/2011 धारा- 379, 511 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त आसित सेन पुत्र तरुण सेन निवासी- 503F जलालीपट्टी मार्केट DLW थाना-मण्डुवाडीह वाराणसी को थाना सिगरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 09.02.2024 को मा0 न्यायालय JM-II जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त आसित सेन उपरोक्त को धारा-379 भादवि में मा0 न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रु0 का अर्थदण्ड तथा धारा-511 भादवि में 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
जोन-काशी कमिश्नरेंट-  
वाराणसी